

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 44 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 117

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री जाफर खान / युनुस खान, प्रोपराईटर लजीज
केटर्स, पोस्ट ऑफिस के सामने, बांसवाड़ा, जिला
बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री जाफर खान स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 08-01-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.10.2024 की पालना में दिनांक 22.11.2024 को बांसवाड़ा में लजीज केटर्स, पोस्ट ऑफिस के सामने, बांसवाड़ा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री जाफर खान / युनुस खान की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी. गैस	62628 P	29.300	15.400	13.900
2	एचपी. गैस	683342 T	26.200	15.700	10.500
3	एचपी. गैस	504316	20.100	15.300	4.800

श्री जाफर खान द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु



(Handwritten signature)

भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2 बर्नर, 1 रेग्युलेटर, 2 रबर ट्यूब को जब्त किया जाकर जय बालाजी एचपी गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौतम/ रकमा चरपोटा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2 बर्नर, 1 रेग्युलेटर, 2 रबर ट्यूब को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 08.01.2025 को अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच के दौरान जो 3 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये है उनका व्यवसायिक उपयोग नहीं रहा था न ही भण्डारण किया गया है। जब्तशुदा घरेलु सिलेण्डर को राजसात किया जाने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। जवाब के साथ ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु निवेदन करने पर सुना गया। प्रस्तुत बहस में भी जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं को दौहराया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 22.11.2024 को बांसवाडा में लजीज क्रेटर्स, पोस्ट ऑफिस के सामने, बांसवाडा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री जाफर खान/ युनुस खान की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। श्री जाफर खान द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2 बर्नर, 1 रेग्युलेटर, 2 रबर ट्यूब को जब्त किया जाकर जय बालाजी एचपी गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौतम/ रकमा चरपोटा को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार



जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2 बर्नर, 1 रेग्यूलैटर, 2 रबर ट्यूब को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 2 बर्नर, 1 रेग्यूलैटर, 2 रबर ट्यूब घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 08-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)